आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –271 / 2022
हरिकांत तिवारी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
02.03.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 7016 / 2022 में दिनांक–12.10.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2022 को पारित आदेश का अंश निम्नवत है :– **"It appears from the order impugned that since the court did not observe that any limitation having come in the way is required to be condoned, the Revisional Authority refused to condone the delay of five months in preferring the revision petition.** **We set aside the order dated 23.08.2021/10.02.2022 and direct the Revisional Authority to hear the revision petition preferred by the petitioner for which a fresh copy of the memo of revision shall be furnished by the petitioner within a period of sixty days."** वाद का सारांश यह है कि ग्राम पंचायत मदरना के मुखिया एवं उपमुखिया के शिकायत के आधार पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली द्वारा श्री हरिकांत तिवारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान की जाँच की गयी एवं अपने पत्रांक 41 दिनांक 24.02.2016 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच में निम्नांकित अनियमितताएँ पायी गयी– (i) विक्रेता द्वारा प्रति दिन दुकान नहीं खोला जाता है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

(ii) विक्रेता का बाँट कम है, जिसके कारण खाद्यान्न कम दिया जाता है।

(iii) विक्रेता द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल का मूल्य निर्धारित दर से अधिक लिया जाता है।

(iv) विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है।

(v) विक्रेता द्वारा माह जनवरी 16 का खाद्यान्न वितरण में माह फरवरी 16 का भी कूपन उपभोक्ताओं से फाड़ लिया गया है।

(vi) विक्रेता द्वारा कैशमेमों नहीं दिया जाता है।

(vii) विक्रेता द्वारा राशन कार्ड पर अंकित व्यक्तियों के संख्या के आधार पर कुछ उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की गई है। माह सितम्बर 15, अक्टुबर 15, नवम्बर 15 एवं दिसम्बर 15 में कार्ड संख्या पी0एच0एफ 8500021 पर अंकित मात्रा से कम खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है।

(viii) विक्रेता का दुकान 01:09 बजे अपराहन् में बन्द पाया गया।

उक्त अनियमितता के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर के ज्ञापांक 257 दिनांक 01.03.2016 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, साथ ही भंडार पंजी, वितरण पंजी, कैशमेमो आदि की मांग की गयी। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 09.03.2016 को बिना भंडार पंजी, वितरण पंजी, कैशमेमो संलग्न किये स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण के साथ दुकान से संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं रहने के कारण अनुमंडल कार्यालय के ज्ञापांक 420/आ0 दिनांक 05.04.2016, ज्ञापांक 616/आ0 दिनांक 18.06.2016 एवं ज्ञापांक 814/आ0 दिनांक 10.09.2016 के द्वारा राशन/किरासन वितरण का सत्यापन हेतु पंजी/कागजात की मांग की गयी, जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मंतव्य सहित तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग की गयी, इसी बीच कुछ उपभोक्ताओं के शिकायत के आधार पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली द्वारा दिनांक 05.09.2016 को 12:10 बजे अपराहन् में दुकान की जाँच की गयी जिसमें पुनः निम्नांकित अनियमितताएँ प्रतिवेदित की गयी–

(i) निर्धारित अवधि में विक्रेता की दुकान बंद पायी गयी।

(ii) विक्रेता की दुकान बन्द रहने के कारण दुकान से संबंधित कागजातों/पंजियों का अवलोकन एवं भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं हो

WEB COPY NOT OFFICIAL

पाया।

(iii) विक्रेता द्वारा गेहूँ की कीमत दो रूपये प्रति किलो के स्थान पर तीन रूपये प्रति किलो की दर से लिया जाता है।

(iv) विक्रेता द्वारा राशन एवं किरासन जो माप कर दिया जाता है, उसे घर लाकर मापने/तौलने पर वजन कम रहता है।

(v) कुछ उपभोक्ता जो माह अगस्त 16 का किरासन तेल प्राप्त नहीं किये है उनके राशन कार्ड पर माह जून 16 तक की ही आपूर्ति अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा माह जून 16 के बाद माह अगस्त 16 का किरासन तेल का वितरण किया जा रहा था। माह जूलाई 16 की आपूर्ति फर्जी रूप से कार्ड पर अंकित की जा रही थी।

(vi) विक्रेता द्वारा जून 16 का खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है, जबकि विक्रेता द्वारा माह जूलाई 16 का खाद्यान्न का उठाव किया जा चुका है, परंतु अब तक विक्रेता द्वारा अभी तक वितरण नहीं किया गया है।

(vii) विक्रेता का व्यवहार उपभोक्ताओं के प्रति काफी खराब है।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली द्वारा प्रतिवेदित उक्त अनियमितताओं के आधार पर पुनः विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई और पंजी आदि जमा करने का निदेश दिया गया, परन्तु विक्रेता द्वारा न स्पष्टीकरण समर्पित किया गया और न ही पंजी। पूर्व में प्राप्त स्पष्टीकरण एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली से प्राप्त मंतव्य पर विचारोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर द्वारा विक्रेता का अनुज्ञप्ति अपने आदेश ज्ञापांक 908 दिनांक 08.10.2016 द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध विक्रेता द्वारा समाहर्त्ता, वैशाली के न्यायालय में अपील वाद सं0–247/2016–17 दायर किया गया। विक्रेता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समाहर्त्ता के न्यायालय में अनुरोध किया गया कि आवेदक अब श्रीमान के समक्ष कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहता है। तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर करना चाहते है। समाहर्त्ता, वैशाली द्वारा स्वयं अपीलवाद वापस लेने के मद्देनजर भविष्य में कोई भी दावा नहीं करने की शर्त के साथ दिनांक 04.09.2018 को वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गयी। समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध विक्रेता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 5692/2019 दायर किया गया। जिसमें 02.12.2019 को पारित आदेश के आलोक में विक्रेता द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 09.05.2020 को पुनरीक्षण वाद सं0–68/2020 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पाँच माह बाद इस न्यायालय में वाद दायर किया गया परन्तु विलंब हेतु तर्कसंगत कारण का

WEB COPY NOT OFFICIAL

उल्लेख नहीं किया गया, जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणवाद को अधिग्रहित नहीं किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध विक्रेता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 7016/2022 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 12.10.2022 को पारित आदेश के आलोक में विक्रेता द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षणवाद दायर है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि किसी उपभोक्ता के शिकायत पर नहीं बल्कि मुखिया एवं उपमुखिया के शिकायत के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जो गलत है। इनका दावा है कि दिनांक 05.09.2016 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के दुकान का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है वह गलत है। पुनरीक्षणकर्ता हमेशा अपने उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित दर पर समान का वितरण किये है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली ने ग्राम पंचायत–मदरना के मुखिया एवं उपमुखिया के दबाव मे आकर पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जाँच किये बगैर गलत प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर को दिया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर ने उसी गलत प्रतिवेदन के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध समाहर्त्ता न्यायालय, हाजीपुर, वैशाली के समक्ष अपीलवाद सं0–247/2016–17 दायर किया। उक्त वाद काफी समय से लंबित रहने के कारण पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 21.08.2018 को एक आवेदन देकर समाहर्त्ता न्यायालय से निवेदन किया कि अपील का निष्पादन नहीं होने के कारण उन्हें माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट आवेदन दायर करना है। परंतु समाहर्त्ता, वैशाली ने आवेदन का गलत तर्क देते हुए उल्लेख किया कि आवेदक किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं करेंगे। उक्त के आधार पर उनके अपील को खारिज कर दिया गया, जो गलत है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता ने समाहर्त्ता न्यायालय में अपने अपीलवाद को खुद वापस लेने का आवेदन दिया, जिस आधार पर उनके अपीलवाद को खारिज किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

उभय पक्षो को सुनने, वाद अभिलेख एंव निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुनरीक्षणकर्ता वाद की निर्धारित अधिकांश तिथियों पर अनुपस्थित रहे है एवं जिस तिथि (26.08.2017, 28.03.2017, एवं 07.02.2017) को उपस्थित हुए है, उसमें उनके द्वारा आवेदन की प्रति दाखिल नहीं किया गया है अर्थात उनके (पुनरीक्षणकर्ता) द्वारा स्वयं वाद को विलंबित किया गया है

WEB COPY NOT OFFICIAL

तथा निम्न न्यायालय द्वारा विभिन्न तिथियों को दिये गये आदेश का अनुपालन भी नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी इस वाद में वैसे भी अभिरूचि नहीं थी। साथ ही पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समाहर्त्ता न्यायालय में दिनांक 21.08.2018 को आवेदन दिया जिसमें अंकित है किः—

1. *''यह कि प्रस्तुत अपीलवाद श्रीमान के समक्ष 2016 से लंबित है।*
2. *यह कि आवेदक अब प्रस्तुत वाद श्रीमान के समक्ष में कंटेस्ट नहीं करना चाहते है तथा माननीय न्यायालय, पटना में वाद दायर करना चाहते हैं।*

   अतः प्रार्थना है कि प्रस्तुत अपीलवाद को वाद वापसी के आधार पर समाप्त करने की कृपा की जाए।''

अर्थात उक्त आवेदन के आधार पर ही समाहर्त्ता, वैशाली द्वारा उनके (पुनरीक्षणकर्ता) वाद की कार्रवाई समाप्त कर दिया गया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा वाद वापसी हेतु दिये गये आवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के आलोकन से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता को पूर्व से ही वाद में अभिरुचि नहीं थी, जो उनके द्वारा दिनांक 21.08.2018 को दिये गये आवेदन से स्पष्ट हो जाता है। उपर्युक्त आवेदन एवं उनके (पुनरीक्षणकर्ता) अनुरोध के आधार पर ही निम्न न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के वाद की कार्रवाई को समाप्त किये जाने का आदेश दिया गया है, जो उचित है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश को उचित पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL